

**प्रेस विज्ञापि**

**थाना तहबरपुर**

**थाना तहबरपुर का टाप टेन अपराधी अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार**

अभियुक्त दुर्गा गिरी पुत्र मुरली गिरी ग्राम मेढी थाना तहबरपुर, आजमगढ़ आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो थाना स्थानीय का टाप 10 अपराधी है। जिसके विरुद्ध थाना स्थानीय पर आर्म्स एक्ट, आबकारी अधिनियम, गुण्डा एक्ट, एनडीपीएस एक्ट तथा मारपीट के दर्जन भर मुकदमें पंजीकृत हैं।

**पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह** द्वारा अपराध नियंत्रण एव वांछित, ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी एव अवैध शस्त्र/अवैध मादक पदार्थ पर प्रभावी रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ व क्षेत्राधिकारी बुढनपुर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 05/11/2020 को वरिष्ठ उ०नि० बसन्त लाल मय हमराह द्वारा रात्रि गश्त में क्षेत्र में मौजूद थे की उसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली की थाने का टाप 10 अपराधी दुर्गा गिरी पुत्र मुरली गिरी ग्राम मेढी थाना तहबरपुर, आजमगढ़ किसी आपराधिक घटना को कारित करने के लिए टीकापुर पेट्रोल पम्प के पास वाली पुलिया पर मौजूद है जो अपने किसी साथी का इन्तजार कर रहा है। उक्त सूचना पर तत्काल वरिष्ठ उ०नि० बसन्तलाल मय हमराहीगण के प्रस्थान कर टीकापुर पेट्रोल पम्प के पास वाली नहर पुलिया पर पहुंचे तो एक व्यक्ति पुलिया के पास खड़ा दिखाई दिया जो पुलिस की गाड़ी आता देख भागने लगा पुलिस बल द्वारा दौड़ाकर एक बारगी घेरकर आवश्यक बल प्रयोग कर समय 4.10 बजे सुबह गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता पुछने पर दुर्गा गिरी पुत्र मुरली गिरी ग्राम मेढी थाना तहबरपुर आजमगढ़ बताया। मौके पर तलाशी से अभियुक्त के पास से एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०- 72/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

**नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त**

दुर्गा गिरी पुत्र मुरली गिरी ग्राम मेढी थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।

**पंजीकृत अभियोग का विवरण**

मु०अ०सं०- 72/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तहबरपुर आजमगढ़

**आपराधिक इतिहास**

1. मु०अ०सं०-2/06 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।
2. मु०अ०सं०-16/08 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।
3. मु०अ०सं०-17/08 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।
4. एनसीआर नं० 09/08 धारा 323/504/506/427 भादवि थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।
5. मु०अ०सं०-368/08 धारा 110 सीआरपीसी थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।
6. एनसीआर नं० 74/12 धारा 323/504/506 भादवि थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।
7. मु०अ०सं०-138/09 धारा 3/ 4 गुण्डा एक्ट थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।
8. मु०अ०सं०-426/12 धारा 110 सीआरपीसी थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।
9. मु०अ०सं०- 53/13 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।
10. मु०अ०सं०- 45/14 धारा 3 / 4 गुण्डा एक्ट थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।
11. मु०अ०सं०-183/10 धारा 60 आबकारी एक्ट थाना तहबरपुर आजमगढ़।
12. मु०अ०सं०-182/10 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।
13. मु०अ०सं०-30/14 धारा 110 सीआरपीसी थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।

14. मु0अ0सं0-12/17 धारा 110 सीआरपीसी थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ ।
15. मु0अ0सं0- नील / 19 धारा 110 सीआरपीसी थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ ।
16. मु0अ0सं0-72/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ ।

**बरामदगी**

एक अदद तमंचा 315 बोर व 2 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

**गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम**

1. वरिष्ठ उ0नि0 बसन्त लाल थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ ।
2. हे0का0 गोरख प्रसाद यादव थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ ।
3. का0 मनोज कुमार कोरी थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ ।
4. का0 सर्वेश कुमार थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ ।